

Scholarship Application & Renewal Pack (NSP + State)

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal) या राज्य पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन — छात्र को सही योजना (प्री/पोस्ट-मैट्रिक, अल्पसंख्यक, SC/ST/OBC, मेरिट-कम-मीन्स) से मिलाना, आय/जाति/बैंक/संस्थान दस्तावेज़ जुटाना, और नवीनीकरण व सत्यापन/अस्वीकृति अनुवर्ती — यह टूल तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

छात्र को पात्र योजना(ओं) से मिलाकर, दस्तावेज़-सूची व आवेदन-सामग्री (व नवीनीकरण/सुधार) तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

योजना-मिलान, दस्तावेज़-सूची व आवेदन-सामग्री का उपयोग NSP या राज्य पोर्टल पर छात्रवृत्ति दाखिल करने, संस्थान-सत्यापन पूरा करने, और वितरण रोकने वाली Aadhaar-बैंक सीडिंग सुधारने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल या राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल, संस्थान द्वारा सत्यापित व विभाग/निदेशालय द्वारा स्वीकृत; राशि Aadhaar-सीडेड बैंक खाते में जमा।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

मिलान योजना हेतु आय, जाति, अधिवास व अंकपत्र दस्तावेज़ों और संस्थान-सत्यापन सहित योजना-समय-सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन करें; नवीनीकरण हर वर्ष दाखिल होता है।

शुल्क और खर्च

छात्रवृत्ति आवेदन हेतु कोई सरकारी शुल्क नहीं; केवल समर्थक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का खर्च।

इसकी जाँच किससे कराएँ

पेशेवर आवश्यक नहीं; संस्थान नोडल अधिकारी आवेदन सत्यापित करता है, और आय/जाति प्रमाणपत्र तहसील/SDM से।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

छूटी समय-सीमा, आय/जाति प्रमाणपत्र में बेमेल, या असीडेड Aadhaar-बैंक खाता ही राशि न वितरित होने का सामान्य कारण है; नवीनीकरण हर वर्ष समय पर दाखिल हो। पोर्टल पर सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।